


संख्या / क्रमांक 91/15

दिनांक	आज्ञा पत्र	
6.11.23	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पोंडेंट्स पीठासीन अधिकारी महोदय आज... को पेश हो।</p>	
26/2/24	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... को पेश हो।</p>	
8.5.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांत को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शकिल पत्रावली / चलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक... को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p>	<p>साधारण नोटिस जारी 5443-55 22.5.24</p>
12.6.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांत को पूर्व में ही हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांत ने रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति मनीष नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय तुरंत इजलास सुनवाया गया। पत्रावली फौजदारी नुमां लेखर न्याय के काम लेखर को तुरंत तलबी तलबीत शकिल दफ्तार हो।</p>	 <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कौम्य कुञ्जन्)</p>